न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 397 / 2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. भगवतीलाल पिता लालुराम जाति ब्यास आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

— वादीगण

बनाम

1. उदयराम पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. राधेश्याम पिता उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. गीतादेवी पत्नी उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. अंजनादेवी पत्नी राधेश्याम जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. पारसदेवी पत्नी पुरणमल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. पटवारी पटवार हल्का कपासन तहसील कपासन।

— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 30.04.2026

—:निर्णयः—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में भैरा पिता लालुराम जाति ब्राहम्ण एवं वादी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेयाबी की आराजी नम्बर 2296, 2304 कुल किता 02 कुल रकबा 46 बीघा 09 बिस्वा स्थित है। कपासन तहसील का सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा सेटलमेन्ट किया जिसमें नवीन भू माप में आराजी नम्बर 2296 के नवीन खसरा नम्बर 6800, 6803, 6797, 6788, 6799, 6798 एवं आराजी नम्बर 2304 के नवीन खसरा नम्बर 6787 रकबा 0.03 हैक्ट0 कुल किता 07 कुल रकबा 9.98 हैक्ट0 कायम हुए। वादी भगवतीलाल एवं भैरा आपस में सगे भाई होकर उक्त उल्लेखित कृषि भूमि वादी भगवतीलाल एवं वादी के भाई भैरा के संयुक्त खातेदारी में होकर वादी एवं वादी का भाई भैरा उर्फ भैरूलाल संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

यह कि वादी भगवतीलाल एवं वादी का भाई भैरा उर्फ भैरूलाल पिता लालुराम के मध्य वादपत्र की चरण संख्या 1 में उल्लेखित नवीन भू माप की कुलिया आराजीयात 7 क्षेत्रफल 9.98 हैक्ट0 का विभाजन का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन में प्रस्तुत हुआ। वादी भगवतीलाल एवं भैरूलाल के मध्य वादपत्र की चरण संख्या 1 में उल्लेखित आराजीयात का विभाजन की डिक्री पारित हुई। पारित डिक्री की पालना में वादी भगवतीलाल एवं वादी के भाई भैरूलाल के मध्य वाद पत्र की चरण संख्या 1 में उल्लेखित आराजीयात का निम्न प्रकार विभाजन होकर रेवेन्यु रेकार्ड में नामान्तरण संख्या 2012 दिनांक 26.12.2011 से आराजीयात का विभाजन होकर पृथक पृथक से वादी भगवतीलाल एवं वादी के भाई भैरूलाल के नाम पर दर्ज हुई। विभाजन के उपरान्त

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पृथक पृथक रूप से हक एवं हिस्से में आई आराजीयात का रेवेन्यु रेकार्ड में निम्न प्रकार अंकन किया गया। विभाजन की डिक्री एवं नामान्तरकरण के उपरान्त वादी की एकल खातेदारी एवं कब्जेयाबी में आराजी खसरा नम्बर 6800/2, 6803 कुल किता 02 499 हैक्ट0 तथा वादी के भाई भैरा उर्फ भैरूलाल की एकल खातेदारी एवं कब्जेयाबी में आराजी खसरा नम्बर 6787, 6788, 6797, 6798, 6799, 6800 कुल किता 06 कुल रकबा 4.99 हैक्ट0 दर्ज हुई।

यह कि वादी के भाई भैरा उर्फ भैरूलाल ने अपने हिस्से की आराजीयात नम्बर 6787, 6788, 6797, 6798, 6799, 6800 कुल किता 06 कुल रकबा 4.99 हैक्ट0 को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30. 07.2013 से प्रतिवादी संख्या 1 उदयराम पित रामलाल जाट, प्रतिवादी संख्या 2 राधेश्याम पिता उदयराम जाट, प्रतिवादी संख्या 3 गीतादेवी पत्नी उदयराम जाति जाट, प्रतिवादी संख्या 4 अंजनादेवी पत्नी राधेश्याम, प्रतिवादी संख्या 5 पारसदेवी पत्नी पूरणमल जाति जाट को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया। पंजीकृत विक्रय विलेख से उक्त विक्रित कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 2289 से 2294 उक्त उल्लेखित कृषि भूमि भैरूलाल आत्मज लालुराम के बजाय प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेयाबी में अंकित हुई रेवेन्यु रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण के संयुक्त आराजीयात का विवरण इस प्रकार है, आराजी संख्या 6787 रकबा 0.03 हैक्ट0, 6788 रकबा 2.74 हैक्ट, 6797 रकबा 0.64 हैक्ट0, 6798 रकबा 0.50 हैक्ट0, 6799 रकबा 0.85 हैक्ट0, 6800 मीन रकबा 0.23 हैक्ट0 कुल किता 06 कुल रकबा 4.99 हैक्ट0।

यह कि वादी ने अपने खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 6803 एवं आराजी नम्बर 7414/6800 कुल रकबा 4.99 हैक्ट0 की पत्थरगढी कराये जाने की कार्यवाही की जिसपर भू0निरीक्षक कपासन द्वारा दिनांक 05/06/2018 को निशानदेही कर पत्थर लगाने की कार्यवाही की, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 7414/6800 रकबा 1.77 हैक्ट0 में से उत्तर दिशा की 0.11 हैक्ट0 भूमि पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया। प्रतिवादीगण ने भू अभिलेख निरीक्षक को पत्थरगढी करने से मना कर दिया। भू-अभिलेख निरीक्षक ने पर्चा मौका में नियमानुसार सक्षम न्यायालय से कब्जा प्राप्त करने हेतु उल्लेख किया। प्रतिवादी संख्या 1 उदयराम ने पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 05.06.2018 में खसरा नम्बर 6800 नक्शा तरमीम से असंतुष्ट होने का इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर किये। सबुत में पर्चा मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक कपासन दिनांक 05.06.2018 प्रस्तुत है।

यह कि वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जिसके खातेदारी की आराजी नम्बर 7414/6800 रकबा 1.77 हैक्ट0 में से उत्तर दिशा की 0.11 हैक्ट0 भूमि की जानकारी दिनांक 05.06.2018 को हुई। वादी ने प्रतिवादीगण को पत्थरगढी के अनुसार उसमें खातेदारी कब्जेयाबी की कृषि भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटाकर कब्जा सुपुर्द किये जाने हेतु कई मर्तबा मौखिक अनुरोध किया। मगर प्रतिवादीगण ने वादी के खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 7414/6800 रकबा 1.77 हैक्ट0 में से 0.11 हैक्ट0 भूमि का कब्जा सुपुर्द करने से दिनांक 30.06.2019 को इंकारी कर दी। अतः वादी को अपने खातेदारी की आराजी नम्बर 7414/6800 रकबा 1.77 हैक्ट0 में से 0.11 हैक्ट0 का वाद प्रस्तुत करना पड रहा है।

यह कि प्रतिवादीगण ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन के आदेश की पालना में भू0अभि0निरीक्षक कपासन द्वारा दिनांक 05.06.2018 को पत्थरगढी का पर्चा मौका बनाया गया। पत्थरगढी कराने के उपरान्त प्रतिवादीगण ने वादी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 7414/6800 रकबा 1.77 हैक्ट0 में से उत्तर दिशा की 0.11 हैक्ट0 पर अनाधिकृत कब्जा कर तारबन्दी कर दी। वादी ने प्रतिवादीगण को तारबन्दी करने इंकारी की, तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि तुमसे जो जोर हो कर लेना मैं कब्जा नही हटाउंगा। वादी ने पडोसियों से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने हेतु कहलवाया तो प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से मना कर दिया। वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 30.06.2019 को कब्जा हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से मना कर दिया और धमकी दी की तुमसे जो ताकत हो कर लो कब्जा नही हटाउंगा। अतः वादकारण पर्चा मौका दिनांक 05.06.2018 एवं अंतिम रूप से इंकारी दिनांक 30.06.2019 से पैदा हुआ एवं हो रहा है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

अन्त में वादी ने प्रार्थना की कि–

यह कि वादानुसार वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 7414/6800 रकबा 1.77 हैक्ट0 में से उत्तर दिशा की 0.11 हैक्ट0 का शान्तिपूर्वक कब्जा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 5 से वादी को दिलाये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावें।

यह कि प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से वादी की खातेदारी की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग Means Profit की राशि 5000/– रूपये वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान फरमाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 से 5 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 14.12.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। साक्ष्यवादी में वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श–12 है।

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। प्रदर्श–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी संख्या 7414/6800 रकबा 1.77 हैक्ट0 वादी की खातेदारी आराजीयात है, प्रदर्श–4 मौका पर्चा से स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात के आंशिक हिस्से पर प्रतिवादीगण का कब्जा है, अतः प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए के आराजी संख्या 7414/6800 रकबा 1.77 हैक्ट0 से हाल नक्शे अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कब्जा हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

([illegible])
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन